

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या—2375 व 2376 / 2011 / पाली

वाणिज्यिक कर अधिकारी, पाली।

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स पदमावती कम्यूनिकेशन, पाली।

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई,

राजकीय उप अभिभाषक।

.....अपीलार्थी राजस्व की ओर से

श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से

**निर्णय दिनांक : 07.07.2015**

### निर्णय

उक्त दोनों अपीलें वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत पाली (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स), जोधपुर-द्वितीय वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 42बी व 42ए/आरवेट/पाली/2010–11 में पारित संयुक्त अपीलीय आदेश दिनांक 27.04.2011 के विरुद्ध पेश की गयी हैं जिनमें अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 24, 55 व 61 के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 2008–09 व 2009–1 के लिये पारित पृथक-पृथक् निर्धारण आदेश दिनांक 25.11.2010 में केडिटनोट्स से प्राप्त राशि को विक्रय मूल्य का भाग मानकर, क्रमशः निर्धारण वर्ष 2008–09 में रिवर्स कर रु. 1,77,892/-, अनवृत्ती ब्याज रु. 56,925/- अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति रु.3,55,784/- इसी प्रकार निर्धारण वर्ष 2009–10 में आरोपित रिवर्स कर रु.90,713/- अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति रु. 1,81,425/- की कायम मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त करने को विवादित किया है।

चूंकि दोनों अपील प्रकरणों के तथ्य व विवादित बिन्दु सादृश्य हैं। अतः दोनों अपील प्रकरणों का निर्णय संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली पर पृथक् से रखी जा रही है।

अपील संख्या 2375/2011/पाली के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के निर्धारण वर्ष 2008–09 का निर्धारण आदेश व रिकॉर्ड पत्रावली के अवलोकन पर यह पाया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में कम्पनी के वाउचर में क्रय मूल्य से कम दर पर विक्रय किया गया है तथा व्यवहारी द्वारा सब्सिडी प्राप्त कर, स्वयं के नुकसान का लाभ प्राप्त किया गया है। अपीलार्थी



लगातार.....2

निर्धारण अधिकारी ने जांच कर, यह भी पाया कि व्यवहारी द्वारा रु. 44,47,289/- पर वेट अदा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने उक्त राशि पर 4 प्रतिशत की दर से कर, अनुवर्ती ब्याज व अधिनियम की धारा 61 के तहत कर की दोगुना शास्ति व प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि से संबंधित बिक्री विवरण प्रपत्र देरी से प्रस्तुत करने के कारण अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति रु.13,790/- आरोपित कर, आदेश पारित किया गया। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी द्वारा कर, अनुवर्ती ब्याज व अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति अपास्त कर, अधिनियम की धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति रु.13,790/- में से रु. 2000/- को यथावत रख, शेष शास्ति राशि को अपास्त कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील संख्या 2376/2011/पाली के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के निर्धारण वर्ष 2009–10 का निर्धारण आदेश व रिकॉर्ड पत्रावली के अवलोकन पर यह पाया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में कम्पनी के वाउचर में क्य मूल्य से कम दर पर विक्रय किया गया है तथा व्यवहारी द्वारा सब्सिडी प्राप्त कर, स्वयं के नुकसान की भरपाई की गयी है। अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने जांच कर, यह भी पाया कि व्यवहारी द्वारा रु.18,14,252/- पर वेट अदा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने उक्त राशि पर 4 प्रतिशत की दर से कर व अधिनियम की धारा 61 के तहत कर की दोगुना शास्ति आरोपित कर, आदेश पारित किया गया। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी द्वारा कर व अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति अपास्त कर, प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार कर ली गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए पारित अपीलीय आदेश को अपास्त कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी व्यवहारी का कथन है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी मैसर्स ड्राईव इण्डिया काम. लि., जयपुर का एक अधिकृत डीलर है जिसके द्वारा मोबाईल्स क्य किये गये हैं एवम् उक्त संव्यवहार प्रत्यर्थी व्यवहारी के बहीयात में दर्ज है। कथन किया कि मोबाईल्स की खरीद बढ़ाने

के उद्देश्य से मैसर्स टाटा टेली सर्विसेज लि., द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को की सब्सीडी प्रदान की गयी जो कि विक्रेता व्यवहारी से एक पृथक फर्म है। कथन किया कि टाटा टेली सर्विसेज द्वारा प्रदान की गयी उक्त सब्सीडी को मैसर्स ड्राईव इण्डिया काम. लि., जयपुर अब मैसर्स ड्राईव इण्डिया एन्टरप्राईजेज सोल्यूशन लि., की सब्सीडी नहीं माना जा सकता। अपने उक्त तर्क के समर्थन में 124 एस.टी.सी. 586 (सु.को.) मैसर्स नैवेली लिग्नाईट कॉरपोरेशन बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, मैसर्स टिस्को जनरल ऑफिस रिकेशन क्लब बनाम बिहार राज्य व अन्य (2002) 126 एस.टी.सी. 547 को प्रोद्धरित किया गया।

कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को सब्सीडी प्रदानकर्ता मैसर्स टाटा टेली सर्विसेज है एवम् इसी कारण सब्सीडी मैसर्स ड्राईव इण्डिया काम.लि. (अब मैसर्स ड्राईव इण्डिया एन्टरप्राईजेज सोल्यूशन लि.) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को विक्रय किये गये माल से संबंधित नहीं है। अतः पारित निर्धारण आदेश में सब्सीडी पर अस्वीकार कर, कायम रिवर्स कर की मांग राशियां अविधिक है। कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मोबाईल क्रय के पेटे प्राप्त हुयी सब्सीडी की राशियों पर आगत कर का मुजरा अस्वीकार कर, अतिशेष कर, आधिक्य से कम किया गया है जो अविधिक है क्योंकि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने क्रय राशि पर 4 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान किया गया है परन्तु उक्त माल का विक्रय पहले मैसर्स टाटा टेली सर्विसेज से मोबाईल हैण्ड सेट की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्यर्थी व्यवहारी को सब्सीडी प्रदान की गयी। इसी कारण प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा माल प्राप्त सब्सीडी को ध्यान में रखते हुये क्रय मूल्य से कम दर पर विक्रय किया परन्तु अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त तथ्य की अनदेखी कर, प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरुद्ध रिवर्स कर की मांग राशियां कायम कर, निर्धारण आदेश परित किये गये हैं जो अविधिक होने के कारण अपीलीय अधिकारी द्वारा उचित रूप से प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार किया गया है। अपने कथन के समर्थन में कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा समान बिन्दुओं पर पारित निर्णय दिनांक 05.07.2014 अपील संख्या 1327 व 1328/2011/सीकर को प्रोद्धरित किया गया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरणों में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहारी ने आलौच्य अवधि हेतु प्रस्तुत किये गये ट्रेडिंग एकाउण्ट में दर्शायी गयी खरीद, वैट-07 में दर्शायी गयी खरीद से कम दर्शायी गयी है। इस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी की ट्रेड डिस्काउण्ट की राशि को विक्रय मूल्य का भाग मानते हुये वैट आरोपित किया गया है।

लगातार.....4

प्रत्यर्थी व्यवहारी को विक्रेता द्वारा जारी ट्रेड डिस्काउण्ट को प्रत्यर्थी का विक्रय मूल्य का भाग नहीं माना जा सकता। विक्रय मूल्य की परिभाषा वैट अधिनियम की धारा 2(36) अनुसार निम्न प्रकार हैः—

2(36) “**sale price**” means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale of any goods less any sum allowed by way of any kind of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any statutory levy or any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods or services rendered at the time of or before the delivery thereof, except the tax imposed under this Act;

**Explanation I.** — In the case of a sale by hire purchase agreement, the prevailing market price of the goods on the date on which such goods are delivered to the buyer under such agreement, shall be deemed to be the sale price of such goods;

**Explanation II.** — Cash or trade discount at the time of sale as evident from the invoice shall be excluded from the sale price but any ex post facto grant of discounts or incentives or rebates or rewards and the like shall not be excluded;

**Explanation III.** — Where according to the terms of a contract, the cost of freight and other expenses in respect of the transportation of goods are incurred by the dealer for or on behalf of the buyer, such cost of freight and other expenses shall not be included in the sale price, if charged separately in the invoice;

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स नैवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी (124 एस.टी.सी. 586) के प्रकरण में सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि:-

“It is that sale consideration, whether in cash or otherwise, which is receiveable in respect of sales made by the dealer which can possibly form part of the turnover of a dealer. It is that sum which can be legitimately regarded as forming part of the aggregate amount for which the goods have been bought or sold. The sum has to be paid either by purchaser or on his behalf by some other person. Any sum received *de hors* the contract of sale from another entity, whether it be

the Government or any one else, cannot be regarded as being an amount which would form part of the sale price on which tax is payable.” इस प्रकार प्रत्यर्थी के विक्रेता द्वारा केड़िट नोट से प्राप्त राशि प्रत्यर्थी के विक्रय मूल्य का भाग नहीं हो सकती। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा हस्तगत दोनों प्रकरणों में आरोपित वैट, अनुवर्ती ब्याज व अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्तियों को अपास्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है।

जहां तक निर्धारण वर्ष 2008–09 में अधिनियम की धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति का प्रश्न है, अपीलीय अधिकारी द्वारा संबंधित प्रावधानों की व्याख्या कर, उचित रूप से आदेश पारित किया गया है। अतः उक्त बिन्दु पर भी अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

परिणामस्वरूप, राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पुष्टि की जाती है।

निर्णय प्रसारित किया गया।

  
( मदन लाल )

सदस्य